कार्यालय कार्यपालन अभियंता
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर

आदेश क्र. 1878 /व.ले.लि./2018-19 अम्बिकापुर दिनांक 24.4.18

निविदा संशोधन सूचना क्रं 1

इस कार्यालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना क्र. 1/1607/व.ले.लि./2018-19 दिनांक 06.04.2018 में आंशिक संशोधन किया जाता है :-

01. कोटेशन आमंत्रण निविदा निर्धारित तिथि में समाचार पत्रों में प्रकाशन नही होने के कारण निविदाए स्पीड पोस्ट सर्विस के द्वारा दिनांक 23.04.2018 के स्थान पर 07.05.2018 एवं निविदा खोलने की तिथि दिनांक 24.04.2018 के स्थान पर दिनांक 08.05.2018 नियत किया जाता है।

अन्य शर्ते यथावत रहेगी।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. (भ/स) संभाग अम्बिकापुर

पृ. क्र. 1879 /व.ले.लि./2018-19 अम्बिकापुर दिनांक 24.4.2018

प्रतिलिपि :-

01. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जिला सरगुजा अम्बिकापुर।
02. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग सिरपुर भवन रायपुर।
03. मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग सरगुजा परिक्षेत्र अम्बिकापुर।
04. अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग अम्बिकापुर मण्डल अम्बिकापुर।
05. कलेक्टर, सरगुजा अम्बिकापुर।
06. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग- मनेन्द्रगढ़,जशपुर, सूरजपुर,पत्थलगांव,रामानुजगंज, राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग अम्बिकापुर, सेतु संभाग अम्बिकापुर।
07. अनुविभगीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भ/स) उपसंभाग क्र.1 अम्बिकापुर, उपसंभाग क्र.2 अम्बिकापुर, उपसंभाग सीतापुर।
08. नगर पालिका निगम अम्बिकापुर।
09. सूचना पटल संभागीय कार्यालय अम्बिकापुर की ओर सूचनार्थ एवं व्यापक प्रचार हेतु प्रेषित।

सहपत्र :- शून्य।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. (भ/स) संभाग अम्बिकापुर

कार्यालय कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग अम्बिकापुर

कोटेशन आमंत्रण सूचना

निविदा विज्ञप्ति क्र./ 01 /व.ले.लि./2018–19 अम्बिकापुर, दिनांक 24.4.2018

निम्नलिखित कार्य हेतु लिफाफा पद्धति के अनुरूप मुहरबंद निविदाए पंजीकृत डाक (ए/डी) अथवा स्पीड पोस्ट सर्विस द्वारा दिनांक 07/05/2018 को सायं 5.30 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्राप्त की जायेगी। निविदा दिनांक 08/05/2018 को सुबह 11.30 बजे या अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्यालयीन दिवस में उपस्थित ठेकेदारो के समक्ष खोली जावेंगी।

01.	कार्य का नाम	:–	सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर में 06 फीट की संगमरमर प्रतिमा (वियतमान स्टोन) प्रदाय करने बावत्।
02.	कार्य की अनुमानित लागत	:–	रू. 8.00 लाख
03.	कार्य पूर्ण करने की अवधि	:–	01 माह
04.	सक्षम ठेकेदार	:–	ख्यातिलब्ध मर्तिकार

– मुख्य शर्ते –

1. इच्छुक ठेकेदारों (ख्यातिलब्ध मूर्तिकार) यदि साझेदारी फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि पूर्व में इस प्रकार के किये गये कार्यो की प्रमाणित सूची, आयकर प्रमाण पत्र/पेन नम्बर, जी.एस.टी. पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. जी.एस.टी. एवं अन्य कटौती शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया मे लागू होगी।
3. निविदा उन्ही ठेकेदारों (ख्यातिलब्ध मूर्तिकार) का स्वीकार किया जायेगा जिन्हे इस प्रकार के कार्यो का अनुभव हो।
4. मूर्ति निर्माण हेतु मूर्तिकार को मान्यताप्राप्त संस्था से मूर्तिकला में मास्टर ऑफ फाईन आर्ट की उपाधि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
5. मूर्ति निर्माण हेतु मान्यता प्राप्त संस्था से हस्त शिल्प विकास बोर्ड से पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. कार्यादेश उपरांत अनुमोदित फोटोग्राफ के अनुसार 15 दिनों मे क्ले मॉडल बनाकर अनुमोदन कराना होगा।
7. निविदाकार को प्रत्येक निविदा में पंजीयन क्षमता के अंतर्गत वर्तमान में लोक निर्माण विभाग या अन्य विभागो में किये जा रहे कार्यो का विवरण राशि सहित मूलप्रति में शपथपत्र देना अनिर्वाय होगा।
8. निविदा में भाग लेने वाले ठेकेदार ख्यातिलब्ध मूर्तिकार) को छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण (नियोजन एवं सेवा शर्तो का विनियमन) अधिनियम 1996 एवं तद्अंतर्गत निर्धारित नियमों के तहत् पंजीयन कराना आवश्यक होगा तथा निर्माण लागत का 1 प्रतिशत उपकर के रूप में प्रत्येक देयक से कटौती की जावेंगी।
9. सर्शत निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा।
10. निविदा के संबंध में किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
11. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार कार्यपालन अभियंता के पास सुरक्षित रहेगा।
12. उपरोक्त निविदा सूचना की विस्तृत प्रति संभागीय कार्यालय की निविदा शाखा से प्राप्त किये जा सकते है।
13. राशि उपलब्ध होने पर ही ठेकेदार को कार्यादेश एवं भुगतान किया जावेगा।

14. निर्माण कार्य में प्रस्तुत गौण खनिज का रायल्टी चुकता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने तथा अंतिम देयक का सक्षम अधिकारी से परीक्षण उपरांत अंतिम बिल का भुगतान किया जावेगा।
15. शासन के नियमानुसार समस्त करों की कटौती की जावेगी तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देश को निविदादाता द्वारा मान्य करना होगा।
16. प्रतिमा का निर्माण शासन के दिये गये दिशा निर्देशानुसार निर्धारित मापदण्ड (वजन, आकार आदि) के अनुरूप वियतमान स्टोन से कराया जावेगा।
17. निविदादर समस्त कर/परिवहन व्यय/प्रस्तावित स्थल में प्रदाय कर स्थापना कार्य हेतु आमंत्रित है।
18. प्रतिमा स्थापना उपरांत 01 वर्ष तक टुट–फुट की जिम्मेदारी मर्तिकार की होगी। उन्पहे स्वंय के व्यय पर ठीक कराना होगा।
19. सामाग्री के परिवहन के दौरान हुई क्षति की जावाबदारी विभाग की नहीं होगी तथा क्षतिग्रस्त स्थिति में सामग्री स्वीकर योग्य नहीं होगा।
20. निविदा को किसी भी स्तर पर बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

<u>नोट :–</u>

1. उपरोक्त तिथियों मं कोई तिथि को शासकीय/स्थानीय अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस को निर्धारित तिथि समय एवं स्थान माना जायें।

कार्यपालन अभियंता
लो.नि.वि. (भ/स) संभाग अम्बिकापुर